

①

R. M.M. Law College Dali 4-5-20

Saharsa

Amendra Kumar Trivedi

part. time Law Teacher

subject Family Law -

हिन्दू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act 1955)

हिन्दू विवाह अधिनियम के धारा 5 में निर्धारित विवाह शर्तों का विवाह किया जाएगा है, वही विवाह के लिए धारा 5 की अधिनियम की जाती है।

(1) विवाह के लिए लड़का या लड़की (कोनो पक्ष का) जीवित हो।

(2) कसूरना - विवाह विधिवत (श्री 1955) अधिनियम 1976 के अनुसूची कोड पक्ष का श्री 1955 विधिवत में न हो पराजनात्मक विधि मान्य सुनाने से भोज्य हो। शादी के उपरान्त सन्तान उत्पन्न करने के योग्य हो, पागलपन अथवा शिथिल के दोष नही पडता है।

आय - विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु - कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

विवाहित लड़का ~~सही~~ पति के जीवित रहते इसी शादी नही बसबना है वह वास्तु में कसूरना माना जायगा।

आय पति सात वर्ष से लायना है व पति को न्यायालय से प्रमाण दानीय करके वह इसी शादी कर बनना है पति पदवी पति और आय है या कायदा नही।



Samsung Print Copier
Print with precision
Only A70s